न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

प्रकरण सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
185 / 17	14.11.2017	11.07.2019

उनवान

1. हरिराम
2. कृष्ण कुमार पुत्रान श्री गजराज
3. शीला पत्नी श्री केहर सिंह
4. अजय पुत्र श्री केहर सिंह
5. सुषमा पुत्री श्री केहर सिंह
6. हरि सिंह पुत्र श्री कल्ला
7. अशोक
8. विनोद पुत्रान बनेसिंह जाति अहीर निवासी भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:–प्रार्थीगण / वादीगण

बनाम

1. कृष्ण
2. बाबूलाल
3. कर्ण सिंह पुत्रान रामकिशन
4. औमवती
5. रमा यादव पुत्रीयान रामकिशन जाति अहीर निवासी भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0
6. शाखा प्रबन्धक कोर्पोरेशन बैंक शाखा ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0
7. मनपाल
8. राजेन्द्र उर्फ राजाराम पुत्रान झूंथर
9. घासीराम पुत्र झूंथर
10. महावीर पुत्र झूंथर जाति अहीर निवासी भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
11. शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 पुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
12. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट
आदेश 39 नियम 1 व 2 दफा 151 जा0 दी0

उपस्थितः–

1. श्री विकास यादव अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री दुलिचन्द यादव अभिभाषक अप्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने मय अभिभाषक उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0ऐ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 दफा 151 जा0दी0 का इस आशय का पेश किया कि जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित हाल आराजी ख0 सं0 782 रकबा 0.72 है0 (2 बीघा 17 बिस्वा) वाके ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है व हाल आराजी ख0 सं0 781 रकबा 0.72 है0 (2 बीघा 17 बिस्वा) व 783 रकबा (0–18 बिस्वा) वाके ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 मे स्थित है। जो इस वाद में विवादित आराजी है व आगे भी इसी नाम से संबोधित की जाऐगी। आराजी खं0 सं0 781, 782, 783, 784 साबिक खं0 सं0 127, 129 से कायम हुए है व 781 व 782 का रकबा समान है व 781 साबिक ख0 सं0 127 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा व 129 रकबा 0–05 बिस्वा से कायम हुए है। व इसी प्रकार 782 साबिक ख0 सं0 127 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा व 129 रकबा 0–05 बिस्वा से कायम हुए है। व ख0 नं0 783 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा 0.27 है0 साबिक ख0 नं0 127 मिन रकबा 0–17 बिस्वा व 129 मिन रकबा 0–04 बिस्वा से कायम हुए है व 784 साबिक ख0 नं0 127 मिन रकबा 0–18 बिस्वा से कायम हुए है। पक्षकारान ने विवादित आराजी का तबादला प्रतिवादीगण के पिता रामकिशन से कर रखा था व विवादित आराजी व मृतक रामकिशन ने एक खेत बना रखा था, व काश्त कर रहा था व उसकी ऐवज में वादीगण दीगर आराजी पर काश्त कर रहे थे। अब अरसा करीब सन् 2013 में मृतक रामकिशन ने तबादला कायम रखने से मना किया तो वादीगण व मृतक रामकिशन ने राजी बाजी अपने–अपने खेत ग्रामवासियों की मदद से व राजीनामें से अलग–अलग कर लिए व पुख्ता डोल कायम कर ली चूंकि ख0 न0 781 व 782 का रकबा समान था इसलिए मौके पर समान हिस्से में बांट कर काश्त कर रहे थे। व पुख्ता डोल कायम थी कि यकायक मृतक रामकिशन ने अपने रकबे ख0नं0 781 की पैमाईश का प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर मौके की पैमाईश की गई जिसमें ना तो कोई मुस्तकिल बिन्दु कायम किया गया ना ही विधि अनुरूप कोई पैमाईश की गई व आनन फानन में मृतक रामकिशन को अधिक रकबा प्रदान करने की कोशिश की गई क्योंकि मृतक रामकिशन की पोत्र वधु तहसील कोटकासिम में पटवारी के पद पर कार्यरत है व राजस्व कर्मचारियान ने मेलजोल होकर विधि विरूद्ध पैमाईश की गई है। मृतक रामकिशन ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 का न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें समस्त अप्रार्थीगण की समहमति के बगैर व प्रार्थी फौत हो चुका था व विधिक वारिसान को रिकोर्ड पर लिए बगैर व अप्रार्थी केहर सिंह भी फौत हो चुका था उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए बगैर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो विधि की नजर में 7 एक्स पार्चा में वादीगण का रकबा 2.17 बीघा 0.72 है0 सम्पूर्ण नही होता है व प्रतिवादीगण का ख0 नं0 781 रकबा 2–17 बीघा, 0.72 है0 को अधिक नाप दे रखी है। जबकि 782 की नाप कम दिखा रखी है। जिसे वादीगण दुरूस्त करा कर समान कराने के अधिकारी है।

मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई कर्तबा एक्सपार्चा ख0 सं0 को दुरूस्त कराने हेतु कहा कि जो हर बार टाल बाल करते रहे है लेकिन अब दिनांक 10.10.2017 को साफ तोर पर ख0 सं0 782 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के अनुसार ही एक्सपार्चा में नाप दुरूस्त कराने से मना कर दिया है। चूंकि प्रतिवादीगण का एक्सपार्चा ख0 सं0 781 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का रकबा से अधिक बडा दिखा रखा है, इसलिए प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो मिन वादीगण को अपने अधिकारो से महरूम होना पड जावेगा, मिन वादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है अपने अधिकारो की

Scanned by CamScanner

रक्षार्थ दावा दुरूस्ती एक्स पार्चा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना लाजिम आया। प्रतिवादीगण के ख0 सं0 781 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा मे रकबा से अधिक एक्स पार्चा मे नाप दर्ज कर रखी है तथा वादीगण के ख0 स0 782 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा मे रकबा से कम एक्स पार्चा मे नाप दर्ज कर रखी है दोनो खसरा नम्बरान के रकबा समान है लेकिन एक्स पार्चा मे नाप गलत दर्ज की हुई है एक्स पार्चा दुरूस्ती कराने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई कर्तबा कहा है जो हर बार टाल बाल करते रहे है लेकिन अब दिनांक 10.10.2017 को एक्सपार्चा वादीगण को दुरूस्त कराने से साफ इन्कार कर दिया है व गलत पैमाईश की आड मे वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आराजी रकबा 0.72 है0 में मजाहमत मदाखलत पेदा करने की भी ऐलानिया तौर पर धमकी दी है यदि प्रतिवादीगण अपने बेजा फेल मे कामयाब हो गये तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी सुविधा का सन्तुलन बहक वादीगण ही है वादीगण के अधिकार कानुन द्वारा रक्षित है सुविधा का सन्तुलन बहक वादीगण ही है इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ दावा हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा से प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा से इस प्रकार से पाबन्द किया जावे कि हाल आराजी ख0 न0 782 नरकबा 0.72 है0 (2 बीघा 17 बिस्वा) ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आराजी वादीगण मे प्रतिवादीगण मजाहमत मदाखलत पेदा ना करे आराजी जोतने फसल बोने काटने समेटने मे रूकावट बाधा पैदा ना करे एवं मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमे अंकित किया कि प्रार्थीगण /वादीगण ने झूंठे एवं मनगढन्त तथ्यो सहित न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है जिसमें सफलता की कोई आशा नही करनी चाहिये। प्रार्थीगण /वादीगण द्वारा झूंठा वाद पत्र, झूंठा शपथ पत्र आदी बनावटी दस्तावेजातो से प्रार्थीगण /वादीगण का केस बखूबी प्राईमाफेसाई आबद्ध व साबित नही होता है। उक्त आराजीयात किसी भी तरह से विवादित नही है। वादीगण द्वारा स्वयं ही विवादित बनाने की कुचेष्टा की जा रही है। मिन प्रतिवादीगण के पिता रामकिशन द्वारा वादीगण व उनके बुजुर्गो से कोई तबादला नही किया गया था। वादीगण द्वारा जिमन हाजा मे यह दर्ज नही किया गया है कि ख0 नं0 782, 783 व 784 के बदले मे मिन प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादीगण को कौनसे खसरा नम्बरान तबादले मे दिये हुये थे। जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारान के बीच मे कोई तबादला नही किया हुआ था। मिन प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख0 सं0 781 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम भोजराजका की कादीमी पुख्ता डोल बनी हुई है। व मिन प्रतिवादीगण रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा को ही काश्त करते चले आ रहे है. मिन प्रतिवादीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार कोटकासिम के आदेश से जो पैमाईश कराई गई थी। जो बाकायदा मुस्तकिल बिन्दु से ही कराई गई थी। व पैमाईश मुताबिक कानून ही की गई थी। मिन प्रतिवादी को हमारे रकबे 2 बीघा 17 बिस्वा से अधिक रकबा प्रदान करने की कोशिश नही की गई थी। मृतक रामकिशन की पौत्र वधु तहसील कोटकासिम मे पटवारी के पद पर कार्यरत है इस कारण राजस्व कर्मचारीयान द्वारा कानून के खिलाफ पैमाईश नही की गई थी। मिन प्रतिवादीगण के ख0 नं0 781 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा मौके पर भी उतना ही है जितना रकबा एक्स पार्चा मे है वादीगण द्वारा जिमन हाजा मे कुल तथ्य मिथ्या व मन गढन्त दर्ज किये गये है एक्स पार्चा के मुताबिक भी मिन प्रतिवादीगण का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा ही है बल्कि 1/2

Scanned by CamScanner

ऐयर कम है। मृतक रामकिशन द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 128, 111 के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया गया था जो कानून के मुताबिक पक्षकारान की सहमति से निर्णित किया गया व मौके पर पत्थरगढ़ी करा दी गई थी। चूंकि मिन प्रतिवादीगण के ख0 सं0 781 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा जितना मौके पर है उतना ही एक्स पार्चा में दर्ज है। ख0 नं0 781 का रकबा मौके पर व एक्स पार्चा की डोलबन्दी के अनुसार एक है। जब ख0 नं0 781 का एक्स पार्चा रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से अधिक नही है तो वादीगण ख0 सं0 781 के एक्स पार्चा को किसी भी वादीगण द्वारा ख0सं0 783 व 784 जो की साथ में ही लगते हुये है उनके एक्स पार्चा के बाबत दावा हाजा में स्पष्ट तथ्य दर्ज करना तो दूर रहा उनके बारे में दावा हाजा में जिक्र तक नही किया गया है। दिनांक 10.10.2017 की कहानी मिथ्या व मनगढन्त दर्ज की गई है। प्रतिवादीगण के ख0 सं0 781 के एक्स पार्चा में रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से अधिक ही नही है तो एक्स पार्चा में दुरूस्ती का सवाल ही नही है दावा हाजा मिन प्रतिवादीगण को बेजा रूप से परेशान करने व आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान करने की नियत से किया गया है। जो हर सूरत में काबिले खारिज है खारिज फरमाया जावे। एक्स पार्चा में ख0 सं0 781 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से ज्यादा रकबा दर्ज किया हुआ ही नही है। तो वादीगण को खं0 सं0 781 के एक्स पार्चा को दुरूस्त कराने की कोई लोकस स्टैन्डी ही नही है। यदि वादीगण के ख0 सं0 782 का रकबा एक्स पार्चा में कम दर्ज है तो उनको दावा हाजा में यह उल्लेख करना चाहिये था की कोनसे खं0 सं0 के एक्स पार्चा में कर्म दर्ज है तो उनको दावा हाजा में यह उल्लेख करना चाहिये था की कोनसे ख0 सं0 के एक्स पार्चा में जमाबन्दी के मुताबिक रकबे से अधिक रकबा दर्ज किया हुआ है। यदि खं0 सं0 781 व 782 का रकबा समान है तो वादीगण मिन प्रतिवादीगण के खं0 सं0 781 जो की मौके पर व जमाबन्दी व एक्स पार्चा में समान है में कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है वादीगण ने दावा हाजा कहीं भी दर्ज नही किया की खं0 सं0 781 की नाप एक्स पार्चा में 2 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है। जब खं0 सं0 781 के एक्स पार्चा की नाप 2 बीघा 17 बिस्वा से अधिक ही दर्ज नही है तो वादीगण को दावा हाजा लाने व कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार ही नही है। मिन प्रतिवादीगण द्वारा खं0 सं0 782 के रकबा 0.72 है0 की भूमि पर भी कोई अतिक्रमण करने की चेष्टा नही की गई है ना ही कोई धमकी ही दी गई है। दावा हाजा झूंठे तथ्यो पर पेश किया गया है। वादीगण अदालत श्रीमान में शुद्ध हस्त होकर नही आये है वादीगण मिन प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है दावा हाजा हर सूरत में काबिले खारिज है।

प्रार्थना गलत है स्वीकार नही है जिमन हाजा के सब जिमन नं0 क, ख, ग, में चाही गई कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावा हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है जो की खारिज फरमाया जावे।

विद्वांन प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित हाल आराजी ख0 सं0 782 रकबा 0.72 है0 (2 बीघा 17 बिस्वा) वाके ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है व हाल आराजी ख0 सं0 781 रकबा 0.72 है0 (2 बीघा 17 बिस्वा) व 783 रकबा (0–18 बिस्वा) वाके ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है। जो इस वाद में विवादित आराजी है व आगे थी इसी नाम से संबोधित की जाऐगी। आराजी खं0 सं0 781, 782, 783, 784 साबिक खं0 सं0 127, 129 से कायम हुए है व 781 व 782 का रकबा समान है व 781 साबिक ख0 सं0 127 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा व 129 रकबा 0–05 बिस्वा से कायम हुए है। व इसी प्रकार 782 साबिक ख0 सं0 127 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा

Scanned by CamScanner

व 129 रकबा 0–05 बिस्वा से कायम हुए है। व ख0 नं0 783 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा 0.27 है0 साबिक ख0 नं0 127 मिन रकबा 0–17 बिस्वा व 129 मिन रकबा 0–04 बिस्वा से कायम हुए है व 784 साबिक ख0 नं0 127 मिन रकबा 0–18 बिस्वा से कायम हुए है। पक्षकारान ने विवादित आराजी का तबादला प्रतिवादीगण के पिता रामकिशन से कर रखा था व विवादित आराजी व मृतक रामकिशन ने एक खेत बना रखा था, व काश्त कर रहा था व उसकी ऐवज में वादीगण दीगर आराजी पर काश्त कर रहे थे। अब अरसा करीब सन् 2013 में मृतक रामकिशन ने तबादला कायम रखने से मना किया तो वादीगण व मृतक रामकिशन ने राजी बाजी अपने–अपने खेत ग्रामवासियों की मदद से व राजीनामें से अलग–अलग कर लिए व पुख्ता डोल कायम कर ली चूंकि ख0 न0 781 व 782 का रकबा समान था इसलिए मौके पर समान हिस्से में बांट कर काश्त कर रहे थे। व पुख्ता डोल कायम थी कि यकायक मृतक रामकिशन ने अपने रकबे ख0नं0 781 की पैमाईश का प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर मौके की पैमाईश की गई जिसमें ना तो कोई मुश्तकिल बिन्दु कायम किया गया ना ही विधि अनुरूप कोई पैमाईश की गई व आनन फानन में मृतक रामकिशन को अधिक रकबा प्रदान करने की कोशिश की गई क्योंकि मृतक रामकिशन की पोत्र वधु तहसील कोटकासिम में पटवारी के पद पर कार्यरत है व राजस्व कर्मचारियान ने मेलजोल होकर विधि विरूद्ध पैमाईश की गई है। मृतक रामकिशन ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 का न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें समस्त अप्रार्थीगण की समहमति के बगैर व प्रार्थी फौत हो चुका था व विधिक वारिसान को रिकोर्ड पर लिए बगैर व अप्रार्थी केहर सिंह भी फौत हो चुका था उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए बगैर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो विधि की नजर में 7 एक्स पार्चा में वादीगण का रकबा 2.17 बीघा 0.72 है0 सम्पूर्ण नही होता है व प्रतिवादीगण का ख0 नं0 781 रकबा 2–17 बीघा, 0.72 है0 की अधिक नाप दे रखी है। जबकि 782 की नाप कम दिखा रखी है। जिसे वादीगण दुरूस्त करा कर समान कराने के अधिकारी है।

मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई कर्तबा एक्सपार्चा ख0 सं0 को दुरूस्त कराने हेतु कहा कि जो हर बार टाल बाल करते रहे है लेकिन अब दिनांक 10.10.2017 को साफ तोर पर ख0 सं0 782 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के अनुसार ही एक्सपार्चा में नाप दुरूस्त कराने से मना कर दिया है। चूंकि प्रतिवादीगण का एक्सपार्चा ख0 सं0 781 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का रकबा से अधिक बडा दिखा रखा है, इसलिए प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो मिन वादीगण को अपने अधिकारो से महरूम होना पड जावेगा, मिन वादीगण के अधिकार कानुन द्वारा रक्षित है अपने अधिकारो की रक्षार्थ दावा दुरूस्ती एक्स पार्चा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना लाजिम आया।

प्रतिवादीगण के ख0 सं0 781 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में रकबा से अधिक एक्स पार्चा में नाप दर्ज कर रखी है तथा वादीगण के ख0 सं0 782 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में रकबा से कम एक्स पार्चा में नाप दर्ज कर रखी है दोनो खसरा नम्बरान के रकबा समान है लेकिन एक्स पार्चा मे नाप गलत दर्ज की हुई है एक्स पार्चा दुरूस्ती कराने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई कर्तबा कहा है जो हर बार टाल बाल करते रहे है लेकिन अब दिनांक 10.10.2017 को एक्सपार्चा वादीगण को दुरूस्त कराने से साफ इन्कार कर दिया है व गलत पैमाईश की आड में वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आराजी रकबा 0.72 है0 में मजाहमत मदाखलत पेदा करने की भी ऐलानिया तौर पर धमकी दी है यदि प्रतिवादीगण अपने बेजा फेल में कामयाब हो गये तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी सुविधा का सन्तुलन बहक वादीगण ही है वादीगण के अधिकार कानुन द्वारा रक्षित है सुविधा का सन्तुलन बहक वादीगण ही है

Scanned by CamScanner

इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ दावा हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा से प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है।

विद्वांन अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगण /वादीगण ने झूंठे एवं मनघडन्त तथ्यो सहित न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है जिसमें सफलता की कोई आशा नही करनी चाहिये। प्रार्थीगण /वादीगण द्वारा झूंठा वाद पत्र, झूंठा शपथ पत्र आदी बनावटी दस्तावेजातो से प्रार्थीगण /वादीगण का केस बखूबी प्राईमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। उक्त आराजीयात किसी भी तरह से विवादित नही है। वादीगण द्वारा स्वयं ही विवादित बनाने की कुचेष्ठा की जा रही है। मिन प्रतिवादीगण के पिता रामकिशन द्वारा वादीगण व उनके बुजुर्गो से कोई तबादला नही किया गया था। वादीगण द्वारा जिमन हाजा में यह दर्ज नही किया गया है कि ख0 नं0 782, 783 व 784 के बदले में मिन प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादीगण को कौनसे खसरा नम्बरान तबादले में दिये हुये थे। जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारान के बीच मे कोई तबादला नही किया हुआ था। मिन प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख0 सं0 781 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम भोजराजका की कदीमी पुख्ता डोल बनी हुई है। व मिन प्रतिवादीगण रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा को ही काश्त करते चले आ रहे है, मिन प्रतिवादीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार कोटकासिम के आदेश से जो पैमाईश कराई गई थी। जो बाकायदा मुश्तकिल बिन्दु से ही कराई गई थी। व पैमाईश मुताबिक कानून ही की गई थी। मिन प्रतिवादी को हमारे रकबे 2 बीघा 17 बिस्वा से अधिक रकबा प्रदान करने की कोशिश नही की गई थी। मृतक रामकिशन की पोत्र वधु तहसील कोटकासिम में पटवारी के पद पर कार्यरत है इस कारण राजस्व कर्मचारीयान द्वारा कानून के खिलाफ पैमाईश नही की गई थी। मिन प्रतिवादीगण के ख0 नं0 781 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा मौके पर भी उतना ही है जितना रकबा एक्स पार्चा में है वादीगण द्वारा जिमन हाजा में कुल तथ्य मिथ्या व मन गढन्त दर्ज किये गये है एक्स पार्चा के मुताबिक भी मिन प्रतिवादीगण का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा ही है बल्कि 1/2 ऐयर कम है। मृतक रामकिशन द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 128, 111 के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया गया था जो कानून के मुताबिक पक्षकारान की सहमति से निर्णित किया गया व मौके पर पत्थरगढ़ी करा दी गई थी। चूंकि मिन प्रतिवादीगण के ख0 सं0 781 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा जितना मौके पर है उतना ही एक्स पार्चा में दर्ज है। ख0 नं0 781 का रकबा मौके पर व एक्स पार्चा की डोलबन्दी के अनुसार एक है। जब ख0 नं0 781 का एक्स पार्चा रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से अधिक नही है तो वादीगण ख0 सं0 781 के एक्स पार्चा को किसी भी वादीगण द्वारा ख0सं0 783 व 784 जो की साथ में ही लगते हुये है उनके एक्स पार्चा के बाबत दावा हाजा में स्पष्ट तथ्य दर्ज करना तो दूर रहा उनके बारे में दावा हाजा में जिक्र तक नही किया गया है। दिनांक 10.10.2017 की कहानी मिथ्या व मनगढन्त दर्ज की गई है। प्रतिवादीगण के ख0 सं0 781 के एक्स पार्चा में रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से अधिक ही नही है तो एक्स पार्चा में दुरूस्ती का सवाल ही नही है दावा हाजा मिन प्रतिवादीगण को बेजा रूप से परेशान करने व आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान करने की नियत से किया गया है। जो हर सूरत में काबिले खारिज है खारिज फरमाया जावे। एक्स पार्चा में ख0 सं0 781 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से ज्यादा रकबा दर्ज किया हुआ ही नही है। तो वादीगण को खं0 सं0 781 के एक्स पार्चा को दुरूस्त कराने की कोई लोकस स्टैन्डी ही नही है। यदि वादीगण के ख0 सं0 782 का रकबा एक्स पार्चा में कम दर्ज है तो उनको दावा हाजा में यह उल्लेख करना चाहिये था की कोनसे खं0 सं0 के एक्स पार्चा में कर्म दर्ज है तो उनको दावा हाजा में यह उल्लेख करना चाहिये था की कोनसे ख0 सं0 के एक्स पार्चा में जमाबन्दी के मुताबिक रकबे से अधिक रकबा दर्ज किया हुआ है। यदि खं0 सं0 781 व 782 का रकबा समान है तो

Scanned by CamScanner

वादीगण मिन प्रतिवादीगण के खं0 सं0 781 जो की मौके पर व जमाबन्दी व एक्स पार्चा पान है में कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है वादीगण ने दावा हाजा कहीं भी दर्ज नही ा की खं0 सं0 781 की नाप एक्स पार्चा में 2 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है। जब खं0 सं0 781 के पार्चा की नाप 2 बीघा 17 बिस्वा से अधिक ही दर्ज नही है तो वादीगण को दावा हाजा लाने कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार ही नही है। मिन प्रतिवादीगण द्वारा खं0 सं0 782 के बा 0.72 है0 की भूमि पर भी कोई अतिक्रमण करने की चेष्टा नही की गई है ना ही कोई धमकी दी गई है। दावा हाजा झूंठे तथ्यो पर पेश किया गया है। वादीगण अदालत श्रीमान में शुद्ध हस्त र नही आये है वादीगण मिन प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी ा है दावा हाजा हर सूरत में काबिले खारिज है।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य एकस र्ा दुरूस्ती व उसके अनुसार मौका पर पैमाईश हेतु विवाद है। किसी भी काश्तकार को केवल स पार्चा के क्षेत्रफल के अनुसार ही भू–भाग नही दिया जा सकता है, यदि एक्सपार्चा पर ही न चिन्ह हो तो राजस्व अधिकारी को जमाबंदी में काश्तकार के रकबा व एक्सपार्चा के क्षेत्रफल मिलान कर उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए, तब तक दोनो पक्षकारो को पुरानी सींव ल व एक दूसरे के कब्जा काश्त को मान्यता व सम्मान देना चाहिए। काश्तकारी में सींव डोल त्वपूर्ण है, सींव डोल के द्वारा काश्तकारो के कब्जा काश्त का निर्धारण किया जा सकता है। ा विधिक आदेश, प्रक्रिया के सींव डोल में परिवर्तन, या कब्जा काश्त में दखलन्दाजी अविधिक अप्रार्थी को एक्स पार्चा व मौका में अंतर बाबत कोई उज्र है तो अप्रार्थी भी विधिक प्रक्रिया नाकर सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, एक्सपार्चा दुरूस्ती करवा सकता है। प्रार्थी को अपना। हक हिस्सा कब्जा काश्त का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित है।

एक्सपार्चा व सीवडोल पुराने बने हुए है, मौके पर पक्षकार काश्तकार अपने कब्जा श्त पर कायम है। प्रार्थी व अप्रार्थी विधिक प्रक्रिया अपनाकर दुरूस्ती के अधिकारी है, मगर जब र्थी अपने कब्जा काश्त को विधिक प्रक्रियानुसार कायम रखना चाहता है तो अप्रार्थीगण को भी धिक प्रक्रिया का सम्मान व सहयोग करना चाहिए । प्रार्थी को बिना विधिक प्रक्रिया के उसके ब्जा काश्त से बेदखल करने व सींव डोल मिसमार करने से प्रार्थी को असुविधा व अपूरणीय क्षति गी।

उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति नो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक .10.2017 के आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थाई षेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के विवादित आराजी खसरा म्बर 782 रकबा 0.72 हैक्टयर (02 बीघा 17 बिस्वा) वाके ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम के ब्जा काश्त उपयोग उपभोग आराजी वादीगण मे प्रतिवादीगण मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, राजी जोतने, फसल बोने, कोटने, समेटने में रूकावट पैदा ना करे। मौका की यथा स्थिति कायम खे ।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया या ।

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner